न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 159/2018

बलवीर सिंह पुत्र हीरा सिंह जाति रायसिख निवासी 85 एल.एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. हीरासिंह पुत्र पंजासिंह जाति रायसिख निवासी 85 एल.एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल 7 एफडीएम (चण्डीगढ) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. बलकार सिंह पुत्र हीरा सिंह जाति रायसिख निवासी 85 एल.एन.पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल 7 एफडीएम(चण्डीगढ) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. मुख्त्यार सिंह पुत्र हीरा सिंह जाति रायसिख निवासी 85 एल.एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल 7 एफडीएम(चण्डीगढ) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. माघसिंह पुत्र हीरासिह जाति रायसिख निवासी 85 एलएनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल 7 एफडीएम(चण्डीगढ) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. जगदीश सिंह पुत्र माघसिंह जाति रायसिख निवासी 85 एलएनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. रांझासिंह पुत्र हीरा सिंह जाति रायसिख निवासी 85 एलएनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. जीतकौर पत्नी माघसिंह जाति रायसिख निवासी 85 एल.एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

दिनांक 25.09.2018

उपस्थिति—

अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित

श्री रणवीर बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 5 व 7

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय

दिनांक— 18/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी बलवीरसिंह ने उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर कथन किया कि अनवान सदर का वाद न्यायालय में पेश हो चुका है जिसके कामयाब होने के पूरे आसार व आधार है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 हीरासिंह को अपने परिवार के पालन पोषण हेतु चक 85 एलएनपी वा 13 एनआरडीए तहसील रायसिंहनगर में 50.00 बीघा कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि पर आवंटन पश्चात हीरासिंह परिवार सहित काबिज होकर काश्त करने लगा और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से ली गई कृषि उपज बिक्री से परिवार द्वारा की गई बचत राशि से किश्तें वगैरहा जमा करवाते हुए अपने नाम से सनद खातेदारी प्राप्त की गई। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि पिता हीरासिंह ने प्रथम पत्नी के देहान्त होने उपरांत दूसरी शादी की थी। प्रथम पत्नी से तीन पुत्र प्रार्थी, अप्रार्थीगण माघसिंह, रांझासिंह और दूसरी पत्नी से अप्रार्थीगण बलकार सिंह वा मुख्त्यारसिंह हुए। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का अस्थाई व्यादेश पारित फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि चक 13 एन.आर.डी.ए के प.नं. 120/307 मु.नं. 1 के कि.नं. 5, 6, 15, 16 प्रत्येक .0253है0, 25/2 की 0.228है0, 24/2 की 0.228है0 , 23/2 की 0.177है0 कुल 1.645है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड कृषि भूमि को स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी अन्य को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने से तथा वादी आदि को जबरन, बलपूर्वक, विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनायें रखें।

(A) अप्रार्थी सं. 1 से 5, 7 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होने के कारण खारिज फरमाया जावे तथा हम अप्रार्थीगण को सीपीसी की धारा 35 के तहत खर्चा जबाबदेही एवं हर्जाना दिलाया जावे।

(B) अप्रार्थी सं. 6 ने प्रा.पत्र का जवाब प्रा.पत्र मय कांउटरक्लेम पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाता है तो अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है। कांउटरक्लेम अप्रार्थी बहक अप्रार्थी विरूद्ध प्रार्थी निर्णित व डिक्री फरमाया जाकर वाके चक 13 एनआरडी ए कृषि भूमि पर बंटवारा अनुसार चले आ रहे पुराने कब्जा के आधार पर उस पर अप्रार्थी के हक–हकूक व खातेदारी अधिकार घोषित किये जाकर घोषणात्मक डिक्री बहक अप्रार्थी विरूद्ध अन्य अप्रार्थीगण को तथाकथित दस्तावेज दान–पत्र व बैयनामा की रूह से विवादित रकबा पर कोई हक –हकूक व अधिकार हासिल नहीं होते।

(C) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 25.09.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर करने के आदेश दिये एवं न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.04.2018 को निरस्त कर दिया।

(D) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 5 व 7 की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

(I) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 5 व 7 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। रेस्पों. रिकार्डेड खातेदार हैं और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने अधी. न्यायालय के निर्णय का विस्तार से अध्ययन किया:– निर्णयानुसार प्रार्थीगण/रेस्पों. व प्रार्थीगण/अपीलांट के बीच अपने पित हीरासिंह के दो विवाहों से उत्पन्न संतानों व सौतेली माता का सम्बन्ध है। परस्पर भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद अधी.न्यायालय में विचाराधीन है जिसका निर्णय किया जाना शेष है। अधी.

न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 के निर्णय प्रा. पत्र उसके रिकार्डेड खातेदार नहीं होने के कारण अस्वीकार करने तथा रिकार्डेड खातेदारान के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करने से इन्कार के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर